

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी ( राजस्व )

नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 581 सन 2019

अनवान :-

1. साहबराम पुत्र मनफुलराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री विजयसिंह कडवासरा अधिवक्ता वादी  
निर्णय दिनांक :- 05/10/2018

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्रय का पेश किया की रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 287/258 की कुल 2.2770 हैक वादी के नाम दर्ज है

उक्त भूमि में वादी के पिता का नाम रामनारायण पुत्र उर्फ फुला दर्ज कर रखा है जबकि वादी के पिता का सही नाम मनफुलराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी के पिता का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी के पिता का सही नाम मनफुलराम है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र, भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड सभी में वादी के पिता का नाम मनफुलराम दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम रामनारायण दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी, खाद बीज का ऋण, मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर रामनारायण उर्फ फुला के स्थान पर मनफुलराम संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।


वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेशकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प कोर्ट में पेश होने पर वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 287/258 की कुल 2.2770 हैक वादी के नाम दर्ज है

उक्त भूमि में वादी के पिता का नाम रामनारायण पुत्र उर्फ फुला दर्ज कर रखा है जबकि वादी के पिता का सही नाम मनफुलराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी के पिता का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी के पिता का सही नाम मनफुलराम है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र, भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड सभी में वादी के पिता का नाम मनफुलराम दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम रामनारायण दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी, खाद

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 87/258 की कुल 2.2770 हैक वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी के पिता का नाम मनफुलराम दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय मनफुलराम के स्थान पर रामनारयण दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम मनफुलराम दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत टोपरिया के द्वारा भी वादी के नाम के सम्बन्ध में तस्दीक पेश की गई है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात/सरपंच की तस्दीक से वादी का नाम मनफुलराम होना प्रतित होता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नहीं होती है वल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं सरपंच ग्राम पंचायत टोपरिया के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 287/258 की कुल 2.2770 हैक में वादी के पिता का रामनारायण उर्फ फुला अंकित है के स्थान पर मनफुलराम उर्फ रामनारायण संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/10/2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )  
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021  
केम्प कोर्ट

प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुश्री श्वेता कोचर ( आर.ए.एस)

अनवान :-

1. साहबराम पुत्र मनफुलराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 5810 सन 2020 निर्णय दिनांक-05/10/2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021 मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 287/258 की कुल 2.2770 हैक् में वादी के पिता का रामनारायण उर्फ फुला अंकित है के स्थान पर मनफुलराम उर्फ रामनारायण संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/10/2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)  
प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021  
केम्प कोर्ट टोपरिया